श्री उपसभापतिः धन्यवाद। श्री ईरण्ण कडाडी जी, आपने जो भी तथ्य कहे हैं, उनको authenticate करके दे दीजिएगा।

The following hon. Members associated themselves with the matter raised by hon. Member, Shri Iranna Kadadi: Dr. Kalpana Saini (Uttarakhand), Shri Niranjan Bishi (Odisha), Shri Sujeet Kumar, (Odisha) and Dr. Sasmit Patra (Odisha).

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Shri Raghav Chadha, "Need for Judicial Reforms in the country."

Need for Judicial Reforms in the country

श्री राघव चड्ढा (पंजाब)**:** सर, हम भारत के लोग अदालत को न्याय का मंदिर कहते हैं। आम आदमी जब इस अदालत की चौखट पर जाता है, तो उसे विश्वास होता है कि न्याय जरूर मिलेगा। जैसे ऊपर वाले के दरबार में देर है, अंधेर नहीं, वैसे ही यह माना जाता है कि समय भले ही लग जाए, लेकिन अन्याय नहीं होगा। समय-समय पर judiciary ने अपने भरोसे और विश्वास को और अधिक मजबूत भी किया है। लेकिन हाल ही में घटी कुछ घटनाओं के चलते देश चिंतित है और focus judicial reforms पर है। जैसे इस देश में electoral reforms, police reforms, education और healthcare reforms हुए, वैसे ही judicial reforms होने की आवश्यकता है। लेकिन ऐसे reforms जो judicial independence को मजबूत करें और judicial corruption को समाप्त करें।

मैं इस विषय पर दो महत्वपूर्ण मुद्दे उठाना चाहूंगा - Appointment of judges से लेकर retirement of judges तक। जहाँ तक जजों की नियुक्ति की बात है, समय-समय पर कॉलेजियम सिस्टम की shortcomings, यानी कि खामियां Law Commission की reports और legal luminaries के बयानों के माध्यम से सामने आई हैं। शायद इसी कारण NJAC जैसा कानून लाने की जरूरत भी पड़ी। लेकिन अब समय आ गया है कि कॉलेजियम स्वयं ही अपने आप को reform करे, खुद को reinvent करे, ताकि दो मुख्य मुद्दे - lack of transparency, lack of public scrutiny - जो कॉलेजियम सिस्टम की आलोचना का कारण बनते हैं, उन्हें दूर किया जाए। एक independent transparent process बने, जिसमें seniority, merit और integrity के आधार पर नियुक्ति हो।

मैं इस संदर्भ में एक सुझाव रखना चाहूंगा। पहले, advocates को senior advocates designate करने के लिए एक opaque system था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट द्वारा स्थापित नई प्रक्रिया के तहत अब एक transparent point-based process अपनाई गई है। इस प्रक्रिया में आवेदन पत्र लिया जाता है, फिर उनकी number of years of practice, *pro bono* matters की संख्या, और reported judgement के आधार पर नम्बर देकर नियुक्ति की जाती है। इसी तरह, यदि कॉलेजियम सिस्टम एक transparent point-based, merit-based system अपनाए, तो जजों की नियुक्ति में जनता का विश्वास और अधिक बढ़ेगा।

दूसरा मुद्दा retirement of judges से संबंधित है। देश में एक चलन चलता आया है कि retirement के बाद सरकारें judges को executive या administrative role में नियुक्त करती हैं। इससे conflict of interest, executive interference in judiciary और influence over pre-retirement judgements पर कई प्रश्न खड़े होते हैं। मैं चाहूंगा कि post-retirement job से संबंधित कुछ restrictions लाए जाएं। उदाहरण के लिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 148 के तहत, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG) की सेवानिवृत्ति के बाद उन्हें केंद्र या राज्य सरकार द्वारा किसी भी सरकारी पद पर नियुक्त नहीं किया जा सकता। इसी तरह, यदि absolute restriction संभव न हो, तो कम से कम दो साल की अनिवार्य अवधि (कूलिंग ऑफ पीरियड) होनी चाहिए, जिसमें किसी जज को सेवानिवृत्ति के बाद कम से कम दो साल तक केंद्र या राज्य सरकार द्वारा नियुक्त न किया जाए। यदि ऐसा होता है, तो यह भारत के न्यायिक इतिहास में एक मील का पत्थर साबित होगा। हम, देश के लोग, अदालत को मंदिर और जजों को न्याय का मूर्त रूप मानते हैं। यदि ये सभी judicial reforms होते हैं, तो ...(**समय की घंटी**)... तो देश का भला होगा।

MR. DEPUTY CHAIRMAN: The following hon. Members associated themselves with the matter raised by hon. Member, Shri Raghav Chadha: Dr. Fauzia Khan (Maharashtra), Shrimati Priyanka Chaturvedi (Maharashtra), Shri Sanjay Yadav (Bihar), Shri Jose K. Mani (Kerala), Dr. Sasmit Patra (Odisha), Shri Subhas Chandra Bose Pilli (Andhra Pradesh), Shri A. A. Rahim (Kerala), Shri Prakash Chik Baraik (West Bengal), Dr. Ashok Kumar Mittal (Punjab), Shri Niranjan Bishi (Odisha), Dr. John Brittas (Kerala), Shri Sujeet Kumar, (Odisha) and Shri Tiruchi Siva (Tamil Nadu).

Shrimati Rajani Ashokrao Patil; Concern over rising cost of children's education in India.

Concern over rising cost of children's education in India

SHRIMATI RAJANI ASHOKRAO PATIL (Maharashtra): Sir, today, I want to address a critical issue impacting millions of families across India—the rising cost of education in metro cities and the deteriorating condition of Government schools. Education is a fundamental right, yet for many, it is becoming increasingly inaccessible. Recent surveys reveal that Indian parents spend an average of Rs.40,000 to Rs.2 lakhs annually at LKG and nursery level with costs going up to Rs.2 lakh in tier-I cities. Additionally, families spend an average of Rs.16,000 per year on after-school education like tuition, coaching, etc. These costs put an immense financial burden on middle class and lower-middle class making quality education a privilege rather than a